

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 71/2026

कुलदीप सिंह पुत्र श्री घीसा सिंह, ग्राम पोस्ट पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, मो०नं०
7976566492

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 12.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 19.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 6371/2026 पर दिनांक 19.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/458-459 दिनांक 19.02.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने अपने पत्रांक न्याय/2026/65 दिनांक 11.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री घीसा सिंह, ग्राम पोस्ट पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी। जिसके संबंध में प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक भू०अ०/2026/69 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा सूचना दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने अपने पत्रांक न्याय/2026/65 दिनांक 11.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री घीसा सिंह, ग्राम पोस्ट पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी। जिसके संबंध में प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक भू०अ०/2026/69 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा सूचना दी जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया जा चुका है कि चाही गई सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू